संख्या–729/VI/2004 –49पर्य0/2003

प्रेषक,

ए0के0 घोष,
अपर सचिव
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
पौडी गढ़वाल।

पर्यटन अनुभाग

देहरादूनः दिनांक 20 अक्टूबर, 2004

विषय–वित्तीय वर्ष 2004–05 में शरदोत्सव लैन्सडाउन व शरदोत्सव खिर्सू हेतु धनराशि स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं0 –706/VI /2004–49/पर्य0/2004 दिनॉक 07 अक्टूबर, 2004 एवं उत्तरांचल पर्यटन विकास परिषद के पत्र संख्या– 277/2–8–04 दिनांक 27–09–2004 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय ग्रीष्मोत्सव लैन्सडाउन हेतु वित्तीय वर्ष 2003–04 में स्वीकृत रू0 1.00 लाख (रूपये एक लाख मात्र) की विशेष अनुदान को वित्तीय वर्ष 2004–05 में आयोजित होने वाले शरदोत्सव लैन्सडाउन पर व्यय करने की स्वीकृति प्रदान करते हुये शरदोत्सव खिर्सू, पौड़ी हेतु इस वित्तीय वर्ष में रू0 50.00 हजार (रूपये पचास हजार मात्र) की धनराशि विशेष अनुदान के रूप में व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृत प्रदान करते है।

2– उक्त स्वीकृत इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है कि मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय। यहा यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का आधिकार नही देता जिसे व्यय करने हेतु पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिए। व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में उल्लिखित निर्देशो का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

3– उपरोक्त धनराशि का आहरण शासनादेश संख्या–268 प0अ0/2004–51पर्य0/2003 दिनांक 26 अप्रैल,2004, द्वारा स्वीकृत सहायक अनुदान/अशंदान/राजसहायता हेतु स्वीकृत आयोजनागत पक्ष के मदों से व्यय किया जायेगा एवं उक्त शासनदेश में उल्लिखित शर्तो के अधीन किया जायेगा

4– जिलाधिकारी पौड़ी उपरोक्त स्वीकृत धनराशि का सदुपयोग सुनिश्चित करायेंगे तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र मेले समाप्ति के एक माह के भीतर शासन को उपलब्ध करायेंगे ।

5–उपरोक्त धनराशि विशेष अनुदान के रूप में स्वीकृत किया जा रहा है अतएव इसे भविष्य के लिये दृष्टान्त न माना जाय एवं नहीं इस आधार पर अनुदान की मांग की जायेगी।

6– यदि उक्त धनराशि से कोई निर्माण कार्य कराया जाता है तो उस कार्य का आगणन बनाकर एवं इसको सक्षम स्तर पर अनुमोदन के उपरान्त ही व्यय किया जायेगा । धनराशि का उपयोग इस प्रकार किया जाय कि इससे उक्त मेलों हेतु स्थायी ऐसेट्स क्रय किया जा सके, जिससे मेलों को भविष्य में स्वनिर्भर बनाया जा सके ।

भवदीय,

20/10/04

(ए0के0 घोष)
अपर सचिव।

पृ0प0सं0— VI/2004 —49पर्य0/2003 तद्दिनांकित

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1— महालेखाकार लेखा एवं हकदारी, उत्तरांचल देहरादून।
2— निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तरांचल।
3— वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/पौड़ी गढ़वाल।
4— निदेशक, पर्यटन पटेल नगर, देहरादून।
5— श्री एल0एम0 पन्त, अपर सचिव, वित्त , उत्तरांचल शासन।
6— वित्त अनुभाग—3 उत्तरांचल शासन।
7— जिला पर्यटन विकास अधिकारी पौड़ी गढ़वाल।
8— निदेशक राष्ट्रीय सूचना केन्द्र सचिवालय परिसर।
9— गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(ए0के0 घोष)
अपर सचिव।